

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त विशेष योग्यजन  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

G-3/1, ए. विशेष योग्यजन भवन, होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर  
{निःशक्तजन(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत}  
दूरभाष संख्या: 2222937, 2222503

क्रमांक:एफ-16(1)आनिज/निजअ/धारा-66/2017/632 जयपुर, दिनांक: 9/6/17

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के समसंख्यक आदेश (परिपत्र संख्या: 08/03) दिनांक 18.06.2003 के द्वारा निःशक्तजनों की संस्था को प्रोत्साहन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 32 की सारणी में वर्णित क्रम संख्या 27 के अनुसार फाईल कॅवर, फाईल पैड, लिफाफे, ग्रीटिंग कार्ड, चॉक स्टिक, डस्टर, मोमबती व बस्ते (कुल आठ आईटम्स) की दरें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित की जावेगी। उक्त आईटम तथा दरों पर मानसिक रूप से चैलेन्जड या विशेष योग्यजन की उन संस्थाओं से क्रय किये जा सकते हैं जिनमें उन आईटम्स (वस्तुओं) का उत्पादन इन संस्थाओं के मानसिक रूप से चैलेन्जड या विशेष योग्यजनों द्वारा किया जाता है। ऐसी संस्थाओं की सूची भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रसारित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

आयुक्त, कार्यालय आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक ए-16(1)आनिज/धारा-66/13/963 दिनांक 15.6.2016 द्वारा वस्तुओं की दरें दिनांक 31.3.17 तक की अवधि के लिये लागू की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित दरें लागू की गई है जो निम्नानुसार है:-

(अ) निर्धारित दरें:-

क्रम. सं.	नाम वस्तु	वर्ष 2017-18 में स्वीकृत दरें
1.	फाईल कवर्स	6.25 रू प्रति नग रिकार्ड
		7.25 रुपये प्रति नग आफिस
2.	फाईल पैड्स	28 औन्स- 7.00रू प्रतिनग
		36 औन्स- 8.75रू प्रति नग
3.	लिफाफे "9X4"	लोकल 58 ग्राम-240 रू.प्रति हजार
		18 स्टार क्राफ्ट 58 ग्राम GSM- 375रू.प्रति हजार
		"10X4"
	"11X5"	18 स्टार क्राफ्ट 58 ग्राम GSM-400रू.प्रति हजार
		लोकल 58 ग्राम-280 रू.प्रति हजार
		18 स्टार क्राफ्ट 58ग्राम GSM-500रू.प्रति हजार
4.	चाक स्टिक	6.50 रू प्रति डिब्बा (50 चाक)

5.	मोमबत्ती	165 रु प्रति किलो
6.	डस्टर सफेद 90X90 cm 60X60 cm	48.00 रु प्रति नग 24.00रु. प्रति नग
7.	बस्ते रगीन 100X100cm 90X90cm	47.00 रु प्रति नग 39.00 प्रति नग
8.	ग्रीटिंग कार्ड	21.00 पैसे प्रति कार्ड

**ब-निर्धारित संस्थाओं की सूची (List of Institutions) (निःशक्तजन अधिनियम 1995 के तहत पंजीकृत)**

1. कमल विकलांग सहकारी समिति लि0, बी-96, सेठी कॉलोनी, जयपुर, मोबाईल न. 9928525313
2. राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, 3780, लंगर के बालाजी का रास्ता, गणगौरी बाजार, जयपुर।

यह आदेश दिनांक 31.3.18 तक वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रभावी रहेगा।

**आयुक्त विशेष योग्यजन**

राजस्थान

जयपुर, दिनांक: 9/6/17

क्रमांक:एफ-16(1)आनिज/निअज/धारा-66/2017/ 633-44

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय/मुख्यमन्त्री महोदय/समस्त मन्त्रीगण महोदय/राज्य मन्त्रीगण महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्यसचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
6. समस्त कोषाधिकारी
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. पंजीयक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
11. समस्त सम्बन्धित संस्था.....
12. रक्षित पत्रावली

**उपयुक्त विशेष योग्यजन**


राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त विशेष योग्यजन

जी-3/1, विशेष योग्यजन भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर

विषय:-कार्यालय आयुक्तालय द्वारा जारी दरों को वेबसाईट पर प्रकाशित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय आयुक्त विशेष योग्यजनों द्वारा विशेष योग्यजनों की संस्थाओं को प्रोत्साहन हेतु फाईल कवर, लिफाफे इत्यादि की दरें वर्ष 2017-18 हेतु जारी की गई है जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं कार्यालय आयुक्त विशेष योग्यजन की वेबसाईट पर प्रकाशित कराने की कार्यवाही करावें।

कृपया :- 30/06/2017



(धन्नाराम पुरोहित)

राज्य मंत्री स्तर

आयुक्त विशेष योग्यजन, राजस्थान

निदेशक,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

यू.ओ. नोटएफ1( )IDA/आयुक्त वि.यो.जन./2017/724  
दिनांक 16/6/2017

ACP

1910  
16-617